न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 274/17 (RCMS No.2017/00293) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

गैन्दया उर्फ गोदया पुत्र भागीरथ जातिगुर्जर निवासी ग्राम बासडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती फूला पुत्री भागीरथ पत्नि बीरबल जाति गुर्जर निवासी रईथा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती माना पुत्री भागीरथ पत्नि लड्डू लाल जाति गुर्जर निवासी जटवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. बरधी पुत्र भागीरथ पत्नि कैलाश जाति गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत बिनजारी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. रामफूल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बासडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार चौथ का बरवाडा नामा0 सं0 437 दिनांक 19.01.2017

उपस्थितिः—

1. श्री रिपुसूदन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील रैस्पो0

नि र्ण यदिनांकः—31.05.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 437 निर्णय दिनांक 19.01.2017 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 437 न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.16 एवं तहसीलदार चौथ का बरबाडा के आदेश दिनांक 04.01.17 की पालना में गोदया रामफूल पिसरान भागीरथ हिस्सा 1/2 के स्थान पर गोदया रामफूल पिसरान भागीरथ, फूला, माना, बरदी पुत्रियां भागीरथ हिस्सा 1/2 के भरा गया था जिसे तहसीलदार चौथ का बरबाडा ने दिनांक 19.01.17 को तस्दीक किया था। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दिनांक 22.05.2018 को मौखिक बहस की है तथा रैस्पो0 अभिभाषक ने दिनांक 25.05.2018 को लिखित बहस पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित कियाहै जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा ने मु0 नं0 160/11 श्रीमती फूला वगैरहा बनाम गेन्दया वगैरहा में दिनांक 20.06.12 को निर्णय पारित कर रैस्पो0 संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत बिनजारी द्वारा दिनांक 10.03.86 को तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 271 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया था कि मृतक भागीरथ गुर्जर के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण जारी करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जायज वारिसानों की जॉच किये बिनाही निर्णय पारितकियाहै। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जबकि 09 सितम्बर 2005 से पूर्व भारतीय उत्तराधिकारी नही माना है। इसके बाबजूद भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उलंघनकर निर्णय पारित कियाहै। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 09 सितम्बर 2005 का हवाला दिया था जिसमें पुत्रियों को उत्तराधिकारी नहीं माना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्णय पारित नही कियाहै। अतः अपील स्वीकारकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कियाजावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने लिखित बहस में अंकित किया है कि मृतक भागीरथ के गोदया उर्फ गेन्दया, रामफूल दो लड़के एवं फूला, माना, व बरदीतीन लड़कियॉ थी। निर्णय दिनांक 20.06.12 में मु0 नं0 60/11 फूला बनाम गेन्दया वगैरहा में तत्कालीन नामा. संख्या 271 दिनांक 10.03.86 को निरस्त किया गया था। तहसीलदार ने पॉचों भाई–बहिनों के नाम नामा0 खोलने का आदेश दिया है जिसके अनुसार नामा0 सं0 437 दिनांक 19.01.17 दर्ज किया गया है। उन्होंने लिखितबहस में अंकित कियाहै कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश व उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कानूनन चलने योग्य नही है।चूँकि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार जिस प्रकार से औरस पुत्र मृतक खातेदार के वारिस होते है उसी प्रकार औरस पुत्रियॉ भी कानूनन वारिस होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण खोलने में कानूनी अवैधनिकता नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।नामान्तरकरण संख्या 437 न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.16 एवं तहसीलदार चौथ का बरबाडा के आदेश दिनांक 04.01.17 की पालना में गोदया रामफूल पिसरान भागीरथ हिस्सा 1/2 के

Web Copy - Not Official

स्थान पर गोदया रामफूल पिसरान भागीरथ, फूला, माना, बरदी पुत्रियां भागीरथ हिस्सा 1/2 के भरा गया था जिसे तहसीलदार चौथ का बरबाडा ने दिनांक 19.01.17 को तस्दीक किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा ने प्रकरण उनवानी श्रीमती फूला वगैरहा बनाम गेन्दया वगैरहा में दिनांक 20.06.12 को निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 271 को निरस्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरणतहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि मृतक भागीरथ गुर्जर के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण जारी करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जायज वारिसानों की जॉच किये बिना ही निर्णय पारित किया है। तहसीलदार को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय पारित कर, नामा दर्ज करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 437 पर पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामा0 संख्या 437 दिनांक 19.01.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः नियमानुसार वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण दर्ज करने के रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक31.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official